राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11649/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
भगवान सिंह 78, हरिमार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव सामान्य प्रशासन ग्रुप-1 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रोटोकॉल ऑफिसर, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 7-9-16 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा पूर्व प्रस्तुत आवेदन दिनांक 5-9-14 जो कि द्वितीय अपील संख्या 6414/14 में निर्णय दिनांक 19-5-16 के द्वारा निस्तारित किया जा चुका है के सम्बन्ध में सूचना आयोग के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा किये गये कथन का असत्य होने का आक्षेप करते हुए 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 25-10-16 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 7-9-16 से उनके पूर्व आवेदन दिनांक 5-9-14 जिसका निस्तारण आयोग द्वारा अपील संख्या 6414/14 में निर्णय दिनांक 17-5-16 से किया जा चुका है के बाबत सूचना चाही थी। आयोग के निर्णय के परिपेक्ष में अब प्रत्यर्थी द्वारा कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है। यह भी निवेदन किया कि सूचना आयोग ने एक अन्य अपील संख्या 26/10 में दिनांक 5-8-10 को भी निर्णय पारित किया था कि अपीलार्थी द्वारा बार बार आवेदन कर उसी सूचना की अपेक्षा करना विधि की मंशा के अनुकूल नहीं है। माननीय आयोग ने यह भी अंकित किया था कि अपीलार्थी परेशान व तंग करने के लिऐ आवेदन कर रहा है, जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती एवं अपीलार्थी को भविष्य में ध्यान रखने हेतु सावचेत भी किया गया था। अन्ततः अपीलार्थी को पत्र दिनांक 24-10-16 से उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि हस्तगत अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त